



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 01 अक्तूबर, 2025 / 09 आश्विन, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 09th August, 2025

No. HHC/GAZ/14-324/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 12 days earned leave *w.e.f.* 28-07-2025 to 08-08-2025 with permission to

142—राजपत्र / 2025—01—10—2025

(6325)

prefix Sunday falling on 27-07-2025 in favour of Sh. Vishal Bhamnotra, Senior Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, H.P.

Certified that Sh. Vishal Bhamnotra has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal Bhamnotra would continue to hold the post of Senior Civil Judge-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo, but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 9th September, 2025

No. HHC/GAZ/14-364/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 02 days earned leave *w.e.f.* 08-09-2025 to 09-09-2025 with permission to prefix Sunday falling on 07-09-2025 in favour of Sh. Ekansh Kapil, Sr. Civil Judge-cum-ACJM (II), Shimla, H.P.

Certified that Sh. Ekansh Kapil is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Ekansh Kapil would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-ACJM (II), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 9th September, 2025

No. HHC/GAZ/14-375/2016.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 02 days earned leave for 08-09-2025 to 09-09-2025 with permission to prefix Sunday falling on 07-09-2025 in favour of Ms. Vibhuti Bahuguna, Civil Judge-cum-JMFC (3), Shimla, H.P.

Certified that Ms. Vibhuti Bahuguna is likely to join the same post and at the same station from where she had proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Vibhuti Bahuguna would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMFC (3), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 10th September, 2025

No. HHC/GAZ/14-362/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 02 days commuted leave for 18-08-2025 and 19-08-2025 in favour of Ms. Deepali Gambhir, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nurpur.

Certified that Ms. Deepali Gambhir had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Deepali Gambhir would continue to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nurpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION**

Dated, the 10th September, 2025

No. HHC/GAZ/14-362/2015.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post facto* sanction of 179 days maternity leave *w.e.f.* 11-03-2024 to 05-09-2024 in favour of Ms. Deepali Gambhir, Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nurpur.

Certified that Ms. Deepali Gambhir had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Deepali Gambhir would continue to hold the post of Senior Civil Judge-*cum*-ACJM, Nurpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION**

Dated, the 11th September, 2025

No. HHC/Admn.3(388)/94-II.—05 days commuted leave *w.e.f.* 23-08-2025 to 27-08-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Ramesh Chand Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Ramesh Chand Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ramesh Chand Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 11th September, 2025

No. HHC/Estt.3(578)/2006-I.—09 days commuted leave *w.e.f.* 20-08-2025 to 28-08-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Seema Sharma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Smt. Seema Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Seema Sharma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 11th September, 2025

No. HHC/Estt.3(582)/2007.—02 days earned leave for 24-08-2025 and 25-08-2025 (for extended period) is hereby sanctioned, in favour of Shri Rajeev Kumar, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Rajeev Kumar has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajeev Kumar would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION**

Dated, the 12th September, 2025

No. HHC/Estt.3(760)/2010.—13 days earned leave on and with effect from 15-09-2025 to 27-09-2025 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 13th & 14th September, 2025 and suffix Sundays and Dussehra holidays falling from 28-09-2025 to 05-10-2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Khem Raj Thakur, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Khem Raj Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Khem Raj Thakur would have continued to officiate the same post of Court Master for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION**

Dated, the 12th September, 2025

No. HHC/Estt.3(517)/2001-I.—Following kinds of leave are hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry:

- (i) 08 days commuted leave *w.e.f.* 31-07-2025 to 07-08-2025.
- (ii) 03 days earned leave *w.e.f.* 25-08-2025 to 27-08-2025.

Certified that Smt. Mamta Rao has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION**

Dated, the 12th September, 2025

No. HHC/Estt.7(35)/05-X.—In supersession of all earlier notification issued in this behalf, Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers conferred by Section 5 read with Section 2(h) of the Right to Information Act, 2005, has been pleased to order to designate the Registrar (Judicial) of the High Court of Himachal Pradesh as Appellate Authority, for the purpose of adjudicating the appeals preferred against the decisions of the State Public Information Officer of the High Court Level.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001**NOTIFICATION**

Dated, the 16th September, 2025

No. HHC/GAZ/14-52/74-IV.—In the interest of Administration, following arrangement is being made with regard to the Secretaries, District Legal Services Authorities:—

1. Sh. Kuldeep Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Hamirpur shall look after the work of Secretary, District Legal Service Authority, Chamba, in addition to his own duties and to undertake disaster relief work under the supervision of Chairman, District Legal Authority, Chamba till further orders.
2. Sh. Surya Parkash, Senior Civil Judge-cum-CJM, Hamirpur shall look after the work of Sh. Kuldeep Sharma, Secretary, District Legal Services Authority, Hamirpur in addition to his own work till further orders, in his absence from the headquarter, while on tour to District Chamba.

By order,

Sd/-
Registrar General.

NOTIFICATION

Shimla-4, the 27th September, 2025

No. VS/Estt./6-62/81-III.—The Hon'ble Speaker, H.P. Vidhan Sabha on the recommendations of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the following promotions to the posts of Section Officer in Pay Matrix Level-16, ₹ 48700-154300 on regular basis in H.P. Vidhan Sabha with immediate effect:—

(i) Sh. Ashok Kumar, Superintendent Grade-II

(ii) Smt. Sapna Sekhri, Superintendent Grade-II

2. On promotion they will remain on probation for a period of two years reckoned from the date of issue of this order.

3. They will be entitled to exercise option for fixation of pay under provisions of the F.R. 22 within a period of one month from the date of issue of this Notification.

4. They will join on promotion within 15 days from the date of issue of this Notification failing which the promotion orders shall be deemed to be withdrawn automatically. No specific orders with reference to withdrawal of promotions will be issued separately.

Sd/-
Secretary,
H.P. Vidhan Sabha.

ब अदालत श्री अभिराय सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सलूणी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री राजिंदर कुमार पुत्र श्री देसों, निवासी सैली परगना मंजीर, डाकघर मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) प्रतिवादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.—हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 38(a) के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती।

श्री राजिंदर कुमार पुत्र श्री देसों, निवासी सैली परगना मंजीर, डाकघर मंजीर, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में सशपथ प्रार्थना—पत्र दायर किया है कि उसका सही नाम आधार कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर, स्कूल रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में राजिंदर ठाकुर दर्ज है और पिता का नाम देसों है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड अर्थात् मुहाल सैली की जमाबंदी वर्ष 2018-19 के खाता 5 में उसका नाम राजिंदर कुमार और पिता का नाम देस राज दर्ज है, जो सही न है। प्रार्थी ने उपरोक्त नाम की दुरुस्ती करवाने बारे अनुरोध किया है।

अतः उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे सर्वसाधारण व आम जनता को इस राजपत्र इश्तहार व मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज है तो उजरकर्ता दिनांक 09-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस मुकद्दमा की पैरवी हेतु व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से या किसी अधिवक्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर उजर पेश कर सकता है। गैरहाजिरी की सूरत में नाम की दुरुस्ती करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे एवं तारीख पेशी अर्थात् 09-10-2025 के बाद कोई भी उजर/एतराज विचारणीय न होगा।

आज दिनांक 18-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन

मुकद्दमा नम्बर : 12/NT/23

तहसील: परागपुर

तारीख पेशी : 24-10-2025

धर्म सिंह आदि

बनाम

1. प्रदीप कुमार पुत्र सुरजीत सिंह, 2. डिम्ल राणा पुत्र रमेश चंद, 3. हीना देवी पुत्री रमेश चंद, 4. सत्या देवी पुत्री जल्हू, 5. ओंकार सिंह पुत्र केहर चंद, 6. ओंकारी देवी पुत्री केहर चंद, 7. निर्मला देवी पुत्री केहर चंद, 8. कुसम लता पुत्री सुरिन्दर सिंह, 9. निर्मला देवी पत्नी सुरिन्दर सिंह, 10. उत्तम चंद पुत्र जसवंत सिंह, 11. शेर सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 12. बलदेव सिंह पुत्र जसवंत सिंह, 13. सावित्री देवी पुत्री जसवंत सिंह, 14. अभिषेक पुत्र राजिंदर सिंह, 15. शिल्पा देवी पुत्री राजिंदर सिंह, 16. सुषमा देवी पत्नी राजिंदर सिंह, 17. रेनू बाला पुत्री रणधीर सिंह, 18. सोनिया देवी पुत्री रणधीर सिंह, 19. ठाकरी देवी पुत्री जंगी, 20. हरी सिंह पुत्र रसील सिंह, 21. रवि पुत्र राम भरोसा, 22. अर्जुन पुत्र शेर सिंह, 23. गन्धर्व पुत्र शेर सिंह, 24. गोवर्धन पुत्र शेर सिंह, 25. सूरज पुत्र शेर सिंह, 26. निशा पुत्री शेर सिंह, 27. रचना देवी पत्नी शेर सिंह, 28. दलिप सिंह पुत्र किरपा, 29. गोहरी देवी पुत्री किरपा, 30. बलवन्त सिंह पुत्र राम दयाल, 31. सुरेश कुमार पुत्र राम दयाल, 32. कश्मीर सिंह पुत्र राम दयाल, 33. प्रीतम सिंह पुत्र परस राम, 34. सुभाष चंद पुत्र परस राम, 35. अशोक कुमार पुत्र परस राम, 36. सुनील कुमार पुत्र गुरदेव सिंह, 37. अभिनव राणा पुत्र अशोक कुमार, 38. हुकम चंद पुत्र दयालु, 39. प्रदीप सिंह पुत्र जगदीश चंद, 40. संजीव कुमार पुत्र जगदीश चंद, 41. मंजीत सिंह पुत्र जगदीश चंद, 42. सुनील कुमार पुत्र जगदीश चंद, 43. कुलदीप सिंह पुत्र जगदीश चंद, 44. सलोचना देवी पत्नी जगदीश चंद, 45. भूपिन्द्र सिंह पुत्र होशियार सिंह, 46. राजेंदर सिंह पुत्र होशियार सिंह, 47. कमला देवी पत्नी होशियार सिंह, 48. हर्ष राणा पुत्र मस्तान सिंह, 49. कार्तिक पुत्र मस्तान सिंह, 50. उषा रानी पत्नी मस्तान सिंह, 51. सनी पुत्र राम प्रकाश, 52. रेनू देवी पुत्री राम प्रकाश, 53. अंजू देवी पुत्री राम प्रकाश, 54. पूजा देवी पुत्री राम प्रकाश, 55. सरोज कुमारी पत्नी राम प्रकाश, 56. रशपाल पुत्र वावू राम, 57. अशोक कुमार पुत्र वावू राम, 58. शक्ति देवी पुत्री वावू राम, 59. रचना देवी पुत्री वावू राम, 60. विजय देवी पुत्री वावू राम, 61. रशपाल सिंह पुत्र रन सिंह, 62. सरकार, हि0प्र0, वासीगण महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—भूमि खाता नं0 73, खतौनी नं0 98 ता 102,, खसरा किता 8, रकबा 00—57—36 है0 वाक्या महाल मन्याला उपरला, मौजा गरली, तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है। इस कार्यालय द्वारा फरीकदोयम को कई बार सम्मन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील नियमानुसार न हो पा रही है। प्रार्थीगण की गुजारिश की है कि इन्हें इशतहार राजपत्र द्वारा तत्व किया जावे गुजारिश मन्जूर की जाती है। अतः अब उपरोक्त फरीकदोयम को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि वह अगली तारीख पेशी दिनांक 24-10-2025 को असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। उपरोक्त वर्णित तिथि को न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

आज दिनांक 11-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
प्रागपुर, उप-तहसील प्रागपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Mrs. Sureshna Kumari d/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Garh, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Vs.

1. The General Public.
2. The Commissioner-cum-Registrar Births and Deaths, MC Dharamshala.
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mrs. Sureshna Kumari d/o Sh. Rattan Chand, r/o Village Garh, P.O. Gharoh, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 06-04-1980 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मेरी जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इशतहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Mrs. Sureshna Kumari d/o Sh. Rattan Chand का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-10-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Mr. Ravi Kumar s/o Late Sh. Hari Bhaj, r/o Village Gamru, P.O. & Tehsil Dharamshala,
District Kangra (H.P.).

Vs.

1. The General Public.
2. The Commissioner-cum-Registrar Births and Deaths, MC Dharamshala.
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr. Ravi Kumar s/o Late Sh. Hari Bhaj, r/o Village Gamru, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता स्व0 कौशल्या देवी की मृत्यु दिनांक 10-05-2004 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इशतहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता एवं हितबद्ध व्यक्तियों तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Late Smt. Kaushalya Devi w/o Sh. Hari Bhaj की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-10-2025 को अस्सालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : / 2025

Mr. Suraj Chadha s/o Late Sh. Parkash Chander Chadha *alias* Chander Prakash Chadha, r/o
Kotwali Bazar, Dharamshala, District Kangra, H.P.

Vs.

1. The General Public.
2. The Secretary-cum-Registrar Births and Deaths, GP Gharoh, Dharamshala.
3. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr. Suraj Chadha s/o Late Sh. Parkash Chander Chadha *alias* Chander Prakash Chadha, r/o Kotwali Bazar, Dharamshala, District Kangra, H.P. ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पिता जी की मृत्यु दिनांक 20-05-2025 को हुई है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार राजपत्र के द्वारा समस्त जनता एवं हितबद्ध व्यक्तियों तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Late Sh. Parkash Chander Chadha *alias* Chander Prakash Chadha की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 25-10-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी धर्मशाला,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

तारीख : 15-10-2025

मुश्ट्री/मुनादी

दीपक निराला

बनाम

सूती देवी आदि

प्रतिवादी.—श्रीमती सूती देवी पुत्री लखु राम पुत्र महलु के कानूनी वारिस (LRS), रघुबीर सिंह पुत्र श्रीमती ललिता देवी, रशमा देवी, रक्षा देवी पुत्रियां व कुंता देवी पत्नी स्व0 पूरण चंद पुत्र रामदित्ता, श्री हरबंश लाल, वरयाम सिंह, मस्त राम पुत्रान व श्रीमती माया देवी, निर्मला देवी पुत्रियां व श्रीमती मेहन्दो पत्नी मेहर चंद पुत्र रामदित्ता, श्री शम्मी पुत्र व श्रीमती सुकरी देवी, सुदर्शना, रविन्द्रा देवी पुत्रियां व श्रीमती संदला देवी पुत्री रामदित्ता, निवासी पंजलेहड़, मौजा सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा के भूमि खाता नंबर 38, खतौनी नं0 54, खसरा कित्ता 07, रकबा तादादी 00-24-09 है0 वाक्या महाल पंजलेहड़, मौजा सकोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, जमाबंदी साल 2018-19 की तकसीम करने हेतु इस अदालत में प्रार्थी श्री दीपक निराला पुत्र नारायण प्रकाश पुत्र महेश दास ने प्रार्थना-पत्र पेश किया है। जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण पक्ष समन साधारण तरीका से तामील नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-10-2025 को सुबह 11.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर हों। अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

कार्यालय नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजा का तालाब,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नम्बर : 295/एन.टी./आ.के.टी.

तारीख पेशी : 17-10-2025

उनवान मुकद्दमा :

राकेश कुमार

बनाम

दीपक कुमार आदि।

विषय.—मुश्त्री/मुनादी व चस्पांगी करवाये जाने सम्बन्धी।

नोटिस बनाम :

1. दीपक कुमार पुत्र जगदीश चन्द, 2. अनू वाला पुत्री जगदीश चंद, 3. रजनी रानी पुत्री जगदीश चन्द, 4. संतोष कुमारी विधवा जगदीश चन्द, 5. गोरव पुत्र मस्त राम, 6. ममता देवी पुत्री मस्त राम, 7. पंकू कुमारी पुत्री मस्त राम, 8. जीवना कुमारी विधवा मस्त राम, 9. मधू वाला पुत्री मस्त राम, 10. रुप लाल पुत्र नकेलू, 11. रोहित कुमार पुत्र केवल, 12. (क) अनू वाला विधवा शास्त्री कुमार, (ख) सूर्याशु पुत्र शास्त्री कुमार, (ग) रजना देवी पुत्री दानो देवी, 13. अन्कुश पुत्र तरसेम सिंह, 14. दीपिका पत्नी अन्कुश, निवासी गांव रोड़, उप-तहसील राजा का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त की तलवी के लिए इस अदालत द्वारा साधारण तरीके से कई बार इस अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हो पा रही है। जिस कारण प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तामील न होने पर उक्त केस में अग्रिम कार्यवाही करने में विलम्ब हो रहा है। अतः इस नोटिस इश्तहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादी/प्रतिवादीगण/हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वह/वे उक्त मुकद्दमा में पैरवी हेतु दिनांक 17-10-2025 को समय 10.00 बजे सुबह अदालतन या वकालतन हाजिर अदालत आवें, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 16-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं० 19/2025

दिनांक मरजुआ : 20-09-2025

तारीख पेशी : 22-10-2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार, गांव देहरा, डाकघर नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

प्रार्थना पत्र.—U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री गोवर्धन सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार, गांव देहरा, डाकघर नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में गोवर्धन पुत्र विनोद कुमार लिखा गया है जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम गोवर्धन सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार है। पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड, स्कूल रिकार्ड, पैन रिकार्ड में गोवर्धन सिंह पुत्र विनोद कुमार दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में गोवर्धन पुत्र श्री विनोद कुमार के स्थान पर गोवर्धन सिंह पुत्र विनोद कुमार दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में गोवर्धन पुत्र विनोद कुमार के स्थान पर गोवर्धन सिंह पुत्र विनोद कुमार दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 22-10-2025 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 22-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री गुलजार सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी गांव अन्दौरा उपरला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।

2. श्रीमती कंचन कुमारी पुत्री किशन दास, निवासी गांव अम्बोटा, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

इशतहार/मुश्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री गुलजार सिंह पुत्र राम सिंह, निवासी गांव अन्दौरा उपरला, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती कंचन कुमारी पुत्री किशन दास, निवासी गांव अम्बोटा, तहसील घनारी, जिला ऊना (हि0प्र0) के साथ दिनांक 07-12-2013 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई थी और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण ग्राम पंचायत अन्दौरा उपरला के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुशत्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो दिनांक 18-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करे अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित ग्राम पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)

1. श्री मनीष कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव आदर्श नगर अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0)।
2. श्रीमती आरती पुत्री सुलखण सिंह, निवासी वार्ड नं0 18, ममून कैट, ममून पठानकोट, (पंजाब)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाने बारे।

इशतहार/मुशत्री मुनादी बनाम आम जनता।

श्री मनीष कुमार पुत्र किशोरी लाल, निवासी गांव आदर्श नगर अम्ब, तहसील अम्ब, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती आरती पुत्री सुलखण सिंह, निवासी वार्ड नं0 18, ममून कैट, ममून पठानकोट, (पंजाब) के साथ दिनांक 21-08-2024 को मुताबिक हिन्दू रीति-रिवाज के साथ हुई थी और तब से बतौर पति-पत्नी आपस में रह रहे हैं जिसका पंजीकरण अज्ञानतावश पंचायत अभिलेख में न करवाया है, तथा प्रार्थी अब इसे पंजीकृत करवाना चाहता है। रिपोर्ट स्थानीय पंजीकरण विवाह पंजीकरण नगर पंचायत अम्ब के अनुसार प्रार्थी की शादी दर्ज न हुई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार/मुशत्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी दर्ज करने बारे कोई उजर हो तो दिनांक 13-10-2025 को प्रातः 10.00 बजे या उससे पहले किसी भी दिन असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर उजर पेश करे अन्यथा नियमानुसार सम्बन्धित नगर पंचायत को शादी दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 06-09-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
अम्ब, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Brij Mohan s/o Sh. Chet Ram, r/o Village Badsour, P.O. Bilaspur, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Vanit Kumar to Vineet Kumar. All concerned please note.

BRIJ MOHAN
s/o Sh. Chet Ram
r/o Village Badsour, P.O. Bilaspur,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vinta Devi w/o Sh. Bir Singh, r/o Village Jhalwari, P.O. Thana, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Banita Devi in my Aadhar Card No. 6920 4918 2134. Therefore it should be changed to Vinta Devi in my Aadhar Card. Note the relevant information.

VINTA DEVI
w/o Sh. Bir Singh
r/o Village Jhalwari, P.O. Thana,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Geeta Devi w/o Sh. Mahender Singh, r/o Village Gajnoha, P.O. Randhara, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Kumari Diya to Diya. All concerned please may note.

GEETA DEVI
w/o Sh. Mahender Singh,
r/o Village Gajnoha, P.O. Randhara,
Tehsil Balh, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anjna w/o Sh. Dheeraj Kumar, r/o Korab Bagna (77), P.O. Habban, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my minor daughter's name from Jasmin to Jaismin. All concerned please may note.

ANJNA
w/o Sh. Dheeraj Kumar,
r/o Korab Bagna (77),
P.O. Habban, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manu Bala w/o Sh. Ravinder Singh, r/o Village & P.O. Kuther, Sub-Tehsil Kotla, Tehsil Jawali, District Kangra (H.P.) declare that my son's name Anish Patial is wrongly mentioned as Amish Patial in his Aadhar Card. Therefore, it should be changed to Anish Patial in his Aadhar Card. Concerned please note.

MANU BALA
w/o Sh. Ravinder Singh,
r/o Village & P.O. Kuther,
Sub-Tehsil Kotla,
Tehsil Jawali, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sarishti d/o Sh. Bhuvneshwar Singh, r/o Village Tikar (385), P.O. Naina Tikkar, Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) have changed my name from Sarishti to Kumari Saristi. All concerned please may note.

SARISHTI
d/o Sh. Bhuvneshwar Singh,
r/o Village Tikar (385), P.O. Naina Tikkar,
Tehsil Pachhad, District Sirmaur (H.P.) .

CHANGE OF NAME

I, Dharmender Singh s/o Sh. Jeet Singh, r/o Village Kangar, P.O. Wasni, Tehsil Narag, District Sirmaur (H.P.) have changed my minor daughter's name from Khushi to Khushboo. All concerned please may note.

DHARMENDER SINGH
s/o Sh. Jeet Singh,
r/o Village Kangar, P.O. Wasni,
Tehsil Narag, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Baldev Singh s/o Sh. Bhupinder Singh, r/o Village Daeyan, P.O. Bhoj Nagar, District Solan (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Saner Thakur to Samar Thakur. All concerned please may note.

BALDEV SINGH
s/o Sh. Bhupinder Singh,
r/o Village Daeyan,
P.O. Bhoj Nagar, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Sharma aged 42 years s/o Late Sh. Hira Sharma, r/o Kasumpti Shimla Urban (t), Kasumpti, Shimla (H.P.)-171009 declare that the correct name of my son is Anugrah Sharma. That in Aadhar Card bearing No. 9369 5213 2588 the name of my son is entered as Anuragh Sharma instead of Anugrah Sharma. All concerned please may note.

SANJAY SHARMA
s/o Late Sh. Hira Sharma,
r/o Kasumpti Shimla Urban (t),
Kasumpti, Shimla (H.P.).

विधि विभाग**अधिसूचना**

शिमला-2, 1 अक्टूबर, 2025

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-14/2025-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 11) को दिनांक 01-10-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 37 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,
प्रधान सचिव (विधि)।

2025 का अधिनियम संख्यांक 37.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025**धाराओं का क्रम**

धारा:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 12 का संशोधन।
4. धारा 13 का संशोधन।
5. धारा 17 का संशोधन।
6. धारा 20 का संशोधन।

7. धारा 34 का संशोधन।
8. धारा 38 का संशोधन।
9. धारा 39 का संशोधन।
10. धारा 107 का संशोधन।
11. धारा 112 का संशोधन।
12. धारा 122ख का अंतःस्थापन।
13. धारा 148क का अंतःस्थापन।
14. अनुसूची 3 का संशोधन।
15. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं।
16. 2025 का अधिनियम संख्यांक 33 की धारा 37 का संशोधन।

2025 का अधिनियम संख्यांक 37.

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 1 अक्टूबर, 2025 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2025 है।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी तारीख को प्रवृत्त होंगे, जैसी सरकार राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 2 में,—

(i) खण्ड (61) में, "धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठक के स्थान पर "इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन" शब्द, अंक और कोष्ठक प्रथम अप्रैल, 2025 से अन्तःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

(ii) खण्ड (69) में,—

(क) उप-खण्ड (ग) "नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियन्त्रण या प्रबन्ध" शब्दों के स्थान पर, "नगरपालिका निधि या स्थानीय निधि के नियन्त्रण या प्रबन्ध" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उप-खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण.—इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “स्थानीय निधि” से किसी पंचायत क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियन्त्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है;

(ख) “नगरपालिका निधि” से किसी महानगर क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र के संबंध में, लोक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए और किसी कर, शुल्क, टोल, उपकर या फीस, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, का उद्ग्रहण, संग्रहण और विनियोजन करने के लिए, शक्तियों वाली विधि द्वारा निहित स्थापित स्थानीय स्वशासन के किसी प्राधिकारी के नियन्त्रण या प्रबंध के अधीन कोई निधि अभिप्रेत है।”;

(iii) खंड (116) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(116क) “विशिष्ट पहचान चिन्हांकन” से धारा 148क की उप-धारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विशिष्ट पहचान चिन्हांकन अभिप्रेत है और जिसमें डिजिटल मुहर, डिजिटल चिन्ह या अन्य उसी प्रकार का चिन्हांकन, जो विशिष्ट सुरक्षित और न हटाया जा सकने योग्य हो, भी सम्मिलित है;”।

3. धारा 12 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा।

4. धारा 13 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) का लोप किया जाएगा।

5. धारा 17 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (5) के खंड (घ) में,—

(i) “संयंत्र या मशीनरी” शब्दों के स्थान पर, “संयंत्र और मशीनरी” शब्द रखे जाएंगे और इन्हें 1 जुलाई, 2017 से रखा हुआ समझा जाएगा;

(ii) स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण 2—खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, “संयंत्र या मशीनरी” के किसी प्रतिनिर्देश का अर्थ लगाया जाएगा तथा “संयंत्र और मशीनरी” के प्रतिनिर्देश के रूप में सदैव अर्थ लगाया गया समझा जाएगा।”।

6. धारा 20 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 20 में, 1 अप्रैल, 2025 से,—

(i) उप-धारा (1) में, “धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन” शब्दों कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

- (ii) उप-धारा (2) में, “धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन” शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, “इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के अधीन” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

7. धारा 34 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु प्रदायकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी, यदि—

- (i) जहां ऐसा प्राप्तकर्ता कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है, वहां इनपुट कर प्रत्यय को ऐसे किसी जमापत्र के कारण से हुआ माना जा सकता है, यदि प्राप्तकर्ता द्वारा उसका उपभोग कर लिया गया हो और उसे वापस नहीं किया गया है, या
- (ii) अन्य मामलों में, ऐसी प्रदाय पर कर का भार किसी अन्य व्यक्ति को संक्रामण कर दिया गया है।”।

8. धारा 38 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 38 में,—

- (i) उप-धारा (1) में “स्वतः जनित विवरण” शब्दों के स्थान पर, “कोई विवरण” शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उप-धारा (2) में,—

(क) “के अधीन स्वतः जनित विवरण” शब्दों के स्थान पर, “में निर्दिष्ट विवरण” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (क) में, “और” शब्द का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (ख) में “उक्त प्रदायों के ब्यौरे” शब्दों के पश्चात् “सहित” शब्द रखा जाएगा;

(घ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।”।

9. धारा 39 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) में, “रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए” शब्दों के स्थान पर, “रीति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं” शब्द रखे जाएंगे।

10. धारा 107 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 107 की उप-धारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु किसी कर की मांग को अंतर्वलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।”।

11. धारा 112 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 112 की उप-धारा (8) के अंत में “।” चिन्ह के पश्चात् “:” चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु किसी कर की मांग को अंतर्विलित किए बिना शास्ति की मांग करने वाले किसी आदेश के मामले में ऐसे आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी, जब तक अपीलार्थी द्वारा धारा 107 की उप-धारा (6) के परंतुक के अधीन संदेय रकम के अतिरिक्त उक्त शास्ति के दस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय न कर दिया गया हो।”

12. धारा 122ख का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 122क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“122ख. खोज और अनुसरण की क्रियाविधि के अनुपालन में असफल होने पर शास्ति.—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां अधिनियम की धारा 148क की उप-धारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उक्त धारा के उपबंधों के उल्लंघन में कृत्य करता है, तो वह अध्याय 15 के अधीन या इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी शास्ति के अतिरिक्त ऐसे माल पर संदेय कर के एक लाख रुपए की रकम के समतुल्य या उसकी दस प्रतिशत रकम, जो भी उच्चतर हो, की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा।”

13. धारा 148क का अन्तःस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 148 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“148क कतिपय मामलों के लिए खोज और अनुसरण क्रियाविधि.—(1) सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) माल;

(ख) व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जो ऐसे माल को रखता है या उसमें व्यवहार करता है, को, जिन्हें इस धारा के उपबंध लागू होंगे, विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) सरकार, उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट माल के सम्बंध में,—

(क) ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से, जो विहित किए जाएं, विशिष्ट पहचान चिन्हांकन चिपकाने में तथा इलैक्ट्रॉनिक भंडारण और उसमें अंतर्विष्ट सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए, किसी प्रणाली का उपबंध कर सकेगी; और

(ख) ऐसे माल के लिए किसी विशिष्ट पहचान चिन्हांकन को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसके अंतर्गत उसमें अभिलिखित की जाने वाली जानकारी भी है।

(3) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति,—

(क) उक्त माल या उसके पैकेजों पर ऐसी सूचना को अंतर्विष्ट करते हुए और ऐसी रीति में, कोई विशिष्ट पहचान चिन्हांकन चिपकाएगा;

(ख) ऐसे समय के भीतर, ऐसी जानकारी और ब्यौरे प्रस्तुत करेगा, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे अभिलेख या दस्तावेज रखेगा;

(ग) ऐसे माल, जिसके अंतर्गत पहचान, क्षमता, प्रचालन की अवधि और अन्य ब्यौरे या सूचना भी सम्मिलित है, के विनिर्माण के कारबार के स्थान में संस्थापित मशीनरी के ब्यौरे ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा;

(घ) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट प्रणाली के संबंध में, ऐसी रकम का संदाय करेगा; जो विहित की जाए।”

14. अनुसूची 3 का संशोधन.—मूल अधिनियम की अनुसूची 3 में,—

(i) पैरा 8 के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:—

“(कक) किसी व्यक्ति को या घरेलू टैरिफ क्षेत्र को निर्यात के लिए निकासी के पूर्व विशेष आर्थिक जोन में या किसी मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र में भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति;”;

(ii) स्पष्टीकरण 2 में, “पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए” शब्दों और अंक के स्थान पर, “पैरा 8 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए” “शब्द, अंक और कोष्ठक 1 जुलाई, 2017 से रखे हुए समझे जाएंगे;

(iii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और इसे 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किया हुआ समझा जाएगा, अर्थात्:—

“स्पष्टीकरण 3.—पैरा 8 के खंड (कक) के प्रयोजनों के लिए, “विशेष आर्थिक जोन” “मुक्त व्यापार भांडागारण क्षेत्र” और “घरेलू टैरिफ क्षेत्र” पदों के वही अर्थ होंगे, जो क्रमशः विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 में उनके हैं।”।

15. संग्रहीत कर का कोई प्रतिदाय नहीं.—सभी ऐसे करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संग्रहीत किए गए हैं किंतु जो इस प्रकार संग्रहीत नहीं किए गए होते, यदि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2025 की धारा 14 सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त हुई होती।

16. 2025 का अधिनियम संख्यांक 33 की धारा 37 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 37 में “धारा 114” शब्द और अंक के स्थान पर, “हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2025 की धारा 6” शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 37 of 2025.

**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(2nd AMENDMENT) ACT, 2025**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 12.
4. Amendment of section 13.
5. Amendment of section 17.
6. Amendment of section 20.
7. Amendment of section 34.

8. Amendment of section 38.
9. Amendment of section 39.
10. Amendment of section 107.
11. Amendment of section 112.
12. Insertion of section 122B.
13. Insertion of section 148A.
14. Amendment of Schedule III.
15. No refund of tax collected.
16. Amendment of section 37 of the Act No. 33 of 2025.

Act No. 37 of 2025.

**THE HIMACHAL PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(2nd AMENDMENT) ACT, 2025**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 1ST OCTOBER, 2025)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 10 of 2017).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2025.

(2) Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, appoint.

2. Amendment of section 2.—In the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in section 2,—

- (i) in clause (61), after the word and figure “section 9”, the words, signs and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” (13 of 2017) shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of April, 2025;
- (ii) in clause (69),—
 - (a) in sub-clause (c), after the words “management of a municipal”, the word “fund” shall be inserted; and
 - (b) after sub-clause (c), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

“*Explanation*.—For the purposes of this sub-clause—

- (a) “local fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Panchayat area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called; and
- (b) “municipal fund” means any fund under the control or management of an authority of a local self-government established for discharging civic functions in relation to a Municipal area and vested by law with the powers to levy, collect and appropriate any tax, duty, toll, cess or fee, by whatever name called.”; and

(iii) after clause (116), the following clause shall be inserted, namely:—

“(116A) “unique identification marking” means the unique identification marking referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 148A and includes a digital stamp, digital mark or any other similar marking, which is unique, secure and non-removable;”.

3. Amendment of section 12.—In section 12 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.

4. Amendment of section 13.—In section 13 of the principal Act, sub-section (4) shall be omitted.

5. Amendment of section 17.—In section 17 of the principal Act, in sub-section (5), in clause (d),—

- (i) for the words “plant or machinery”, the words “plant and machinery” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017;
- (ii) the *Explanation* shall be numbered as *Explanation 1* thereof, and after *Explanation 1* as so numbered, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

“*Explanation 2.*—For the purposes of clause (d), it is hereby clarified that notwithstanding anything to the contrary contained in any judgment, decree or order of any court, tribunal, or other authority, any reference to “plant or machinery” shall be construed and shall always be deemed to have been construed as a reference to “plant and machinery.”.

6. Amendment of section 20.—In section 20 of the principal Act, with effect from the 1st day of April, 2025,—

- (i) in sub-section (1), after the word and figure “section 9”, the words, signs and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017” (13 of 2017) shall be deemed to have been inserted;

- (ii) in sub-section (2), after the word and figure “section 9”, the words, signs and figures “of this Act or under sub-section (3) or sub-section (4) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017,” (13 of 2017) shall be deemed to have been inserted.

7. Amendment of section 34.—In section 34 of the principal Act, in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that no reduction in output tax liability of the supplier shall be permitted, if the—

- (i) input tax credit as is attributable to such a credit note, if availed, has not been reversed by the recipient, where such recipient is a registered person; or
- (ii) incidence of tax on such supply has been passed on to any other person, in other cases.”.

8. Amendment of section 38.—In section 38 of the principal Act,—

- (i) in sub-section (1), for the words “an auto-generated statement”, the words “a statement” shall be substituted;
- (ii) in sub-section (2),—
 - (a) for the words “auto-generated statement under”, the words “statement referred in” shall be substituted;
 - (b) in clause (a), the word “and” shall be omitted;
 - (c) in clause (b), after the words and sign “by the recipient,”, the word “including” shall be inserted;
 - (d) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(c) such other details as may be prescribed.”.

9. Amendment of section 39.—In section 39 of the principal Act, in sub-section (1), for the words “and within such time”, the words and sign “within such time, and subject to such conditions and restrictions” shall be substituted.

10. Amendment of section 107.—In section 107 of the principal Act, in sub-section (6), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten percent of the said penalty has been paid by the appellant.”.

11. Amendment of section 112.—In section 112 of the principal Act, in the end of sub-section (8), for the sign “.”, the sign “:” shall be substituted and thereafter, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in case of any order demanding penalty without involving demand of any tax, no appeal shall be filed against such order unless a sum equal to ten percent of the said

penalty, in addition to the amount payable under the proviso to sub-section (6) of section 107 has been paid by the appellant.”.

12. Insertion of section 122B.—After section 122A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“122B. Penalty for failure to comply with track and trace mechanism.—Notwithstanding anything contained in this Act, where any person referred to in clause (b) of sub-section (1) of section 148A acts in contravention of the provisions of the said section, he shall, in addition to any penalty under Chapter XV or the provisions of this Chapter, be liable to pay a penalty equal to an amount of one lakh rupees or ten per cent of the tax payable on such goods, whichever is higher.”.

13. Insertion of section 148A.—After section 148 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“148A. Track and trace mechanism for certain goods.—(1) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify,—

- (a) the goods;
 - (b) persons or class of persons who are in possession or deal with such goods, to which the provisions of this section shall apply.
- (2) The Government may, in respect of the goods referred to in clause (a) of sub-section (1),—
- (a) provide a system for enabling affixation of unique identification marking and for electronic storage and access of information contained therein, through such persons, as may be prescribed; and
 - (b) prescribe the unique identification marking for such goods, including the information to be recorded therein.
- (3) The persons referred to in sub-section (1), shall,—
- (a) affix on the said goods or packages thereof, a unique identification marking, containing such information and in such manner;
 - (b) furnish such information and details within such time and maintain such records or documents, in such form and manner;
 - (c) furnish details of the machinery installed in the place of business of manufacture of such goods, including the identification, capacity, duration of operation and such other details or information, within such time and in such form and manner;
 - (d) pay such amount in relation to the system referred to in sub-section (2), as may be prescribed.”.

14. Amendment of Schedule III.—In Schedule III of the principal Act,—

- (i) in paragraph 8, after clause (a), the following clause shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“(aa) Supply of goods warehoused in a Special Economic Zone or in a Free Trade Warehousing Zone to any person before clearance for exports or to the Domestic Tariff Area;”;

- (ii) in *Explanation 2*, after the words “For the purposes of”, the words, signs and letter “clause (a) of” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017;
- (iii) after *Explanation 2*, the following *Explanation* shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:—

“*Explanation 3.*—For the purposes of clause (aa) of paragraph 8, the expressions “Special Economic Zone”, “Free Trade Warehousing Zone” and “Domestic Tariff Area” shall have the same meanings respectively as assigned to them in section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).”.

15. No. refund of tax collected.—No refund shall be made of all such taxes which have been collected, but which would not have been so collected, had section 14 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (2nd Amendment) Act, 2025 been in force at all material times.

16. Amendment of section 37 of the Act No. 33 of 2025.—In section 37 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025 (33 of 2025) for the word and figure "section 114", the word, signs and figure "section 6 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2025" shall be substituted.